एस. सेतुरमन

बनाम

वी. आर. वेंकटरमन और अन्य

15 मई, 2007

[एस.बी.सिन्हा और मार्कंडी काटजू,जे.जे.]

सेवा कानून-प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति-योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि-पुनः उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मामले की जांच और पक्षों द्वारा सहमति दिए जाने पर-प्रतिवादी की पदोन्नति का निर्देश देने वाले अंतिम आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकरण-अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दिए गए अंतिम आदेश-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए निर्धारित किया कि अधिकारियों को प्रबंध समिति द्वारा किए गए चयन में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस आधार पर अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को यथावत् रखा कि अपीलकर्ता को पुनः परीक्षा के लिए सहमति देने के बाद आदेश को चुनौती देने से हटा दिया गया था। अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी की योग्यता का न्याय करने के लिए अधिकांश विचार अप्रासंगिक थे- लेकिन इसे प्रबंध समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए-जब दो विचार संभव

हैं, तो प्रबंध समिति का दृष्टिकोण प्रबल होगा-विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मामला अपीलार्थी अथोरिटी को प्रतिप्रेषित किया गया। तमिलनाडु निजी विद्यालय (विनियमन) नियम, 1974-नियम 15 (4) तमिलनाडु निजी विद्यालय (विनियमन) अधिनियम, 1973

विद्यालय की प्रबंध समिति ने प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ अपीलार्थी की योग्यता और क्षमता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया। अपीलार्थी की योग्यता और क्षमता को बेहतर पाते हुए, उसे इस पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के खिलाफ अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ रिट याचिका में, दोनों पक्षों की सहमति पर मामला अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया था। उस पर पुनर्विचार करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने राय दी कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 1, दोनों की योग्यता और क्षमता समान थी और चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 वरिष्ठ था, इसलिए उसे पद के लिए चुना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अधिकारियों को इसमें धीमी गति से काम करना चाहिए। रिट अपील में प्रधानाध्यापक के पद पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए चयन में हस्तक्षेप करना। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज

कर दिया कि पक्षकारों ने अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में, अपीलार्थी को उसके निर्णय का विरोध करने से हटा दिया गया था।

अपील की अनुमति देना और मामले को अपीलीय प्राधिकरण को प्रेषित करना,

1.1. अपीलीय प्राधिकरण एक अर्ध न्यायिक कार्य कर रहा था। एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में और एक कानून के तहत कार्य करते हुए, निर्विवाद रूप से वह विफल नहीं हो सकता था और/या प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने और अप्रासंगिक कारकों या बाहरी विचार पर अपने निर्णय को आधार बनाने से इनकार नहीं कर सकता था। अधिकांश विचार, जो पहले प्रतिवादी की योग्यता और क्षमता का निर्णय करते समय अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा ध्यान रखे गये, अप्रासंगिक थे।

[पैरा 21,23,24 और 28] [932-सी; 933-बी-एच; 934-ए-बी]

1.2. अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए,अपीलीय प्राधिकरण निर्विवाद रूप से एक पूर्ण शक्ति है। यह न केवल संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं और अन्य गतिविधियों पर विचार कर सकता है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि दोनों में से किस उम्मीदवार के पास बेहतर योग्यता और क्षमता थी, लेकिन इसे प्रबंध समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि दो

विचार संभव हैं, तो सामान्य रूप से, प्रबंध समिति के विचार को प्रबल होने दिया जाना चाहिए। [पैरा 17] [931-एफ]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से यह मामला स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक को प्रतिप्रेषित किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उक्त प्राधिकरण को तमिलनाडु निजी विद्यालय (विनियमन) नियम, 1974 के नियम 15 के दायरे में इस मामले पर सख्ती से विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने अपील का दायरा नहीं बढ़ाया और न ही बढ़ा सका। यदि अपीलीय प्राधिकरण ने अन्यथा सोचा तो उसका आदेश स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय की ओर से यह अनिवार्य था कि वह अपीलार्थी द्वारा उठाए गए अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे। इसे अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों का परीक्षण करना चाहिए था, और इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को उनके गुण-दोष के आधार पर न कि उन्हें रद्द करने के लिए आदेश देना चाहिए था। [पारस 19 और 20] [931-एच; 932-ए-बी]

1.4. अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे में रहते हुए इस आधार पर कि इससे पहले दिए गए आदेश में स्पष्ट त्रुटियां थीं पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। जहाँ उच्च न्यायालय

के एकल न्यायाधीश ने अपना आदेश पारित करते हुए उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा, वहीं खंड पीठ ऐसा करने में विफल रही। [पैरा 22] [932-डी-ई]

नरिंदर मोहन आर्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य., [2006] 4 एससीसी 713 और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड बनाम प्रभा डी. कानन, (2006) 12 स्केल 58, पर निर्भर थी

एस. एन. चंद्रशेखर बनाम कर्नाटक राज्य, [2006] 3 एस. सी. सी. 208 और राज्य यू. पी. वी. शिव शंकर लाल श्रीवास्तव, [2006] 3 एस. सी. सी. 276, संदर्भित

2. इस प्रकृति के मामले में विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अपीलार्थी ने वास्तव में किसी प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया था और न ही कर सकता था जो उन्होंने क़ानून के तहत प्राप्त नहीं किया था। यदि अधिकार क्षेत्र सहमति से प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो यह अवैध तरीके से इसका प्रयोग करने के अधिकार को नहीं प्राप्त कर सकता है। डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र पक्षों की सहमति से पारित किया गया था, लेकिन यह विवाद में नहीं है। केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मामले की पुनः जांच करने के लिए सहमति दी, जिसका वह अन्यथा हकदार था, इसे अपने आप में चुनौती देने के लिए अयोग्य होने का आधार नहीं पाया जा

सकता था। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश में अत्यधिक अधिकारिता संबंधी त्रुटियां की गई थीं और अन्यथा अभिलेखों से भी स्पष्ट थीं। [पैरा 22] [932-एफ-एच; 933-ए.]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2533/2007.

उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 15.9.2006 से मद्रास में डब्ल्यू. ए. नं. 1638/2003 ।

के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता और अपीलार्थी की ओर से वी. बालचंद्रन।

टी. एल. वी. अय्यर, एल. एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी. राजा, रागेंथ बसंत और सेंथिल उत्तरदाताओं के लिए जगदीशन।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया कि-

एस. बी. सिन्हा, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. तमिलनाडु राज्य में सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती/पदोन्नति तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 1973 और तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) नियम, 1974 (नियम) द्वारा शासित होती है।

नियम 15(4) इस प्रकार है:-

"15(4) (i) पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर तभी विचार किया जाएगा जब वरिष्ठता और योग्यता लगभग बराबर हो।

(ii) विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की नियुक्तियाँ निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाएंगी.

(i) उस स्कूल में योग्य शिक्षकों में से पदोन्नति द्वारा .

(ii) यदि उपरोक्त विधि (i) द्वारा कोई योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, -

(ए) उस स्कूल में कार्यरत अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, बशर्ते कि वे शिक्षक का पद संभालने के लिए पूरी तरह से योग्य हों।

(बी) किसी अन्य स्कूल से शिक्षकों की नियुक्ति।

(सी) सीधी भर्ती।

किसी अन्य स्कूल से या सीधी भर्ती से नियुक्ति के मामले में, स्कूल समिति प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और हाई स्कूल के संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ऐसी नियुक्ति के कारणों को निर्धारित करते हैं। एक से अधिक स्कूल चलाने वाले कॉर्पोरेट निकाय के संबंध में, उस निकाय के अंतर्गत आने वाले

स्कूलों को नियम के प्रयोजन के लिए एक इकाई के रूप में माना जाएगा।

(डी) उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति खंड (ii) में निर्दिष्ट विधि द्वारा या तो उच्च विद्यालयों या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों की श्रेणी से या शैक्षणिक में स्नातकोत्तर सहायकों की श्रेणी से की जाएगी। विषयों या भाषाओं में स्नातकोत्तर सहायक, बशर्ते उनके पास निर्धारित योग्यताएँ हों।"

3. नियमों के नियम 15(4) में प्रावधान है कि पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता पर तभी विचार किया जाएगा जब वरिष्ठता और योग्यता लगभग बराबर हो। माना जाता है कि, स्कूल की प्रबंध समिति ने प्रतिवादी संख्या 1 की तुलना में अपीलकर्ता की योग्यता और क्षमता का तुलनात्मक मूल्यांकन किया और राय दी कि पहले की योग्यता और क्षमता दूसरे की तुलना में बेहतर है। कुछ अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा गया, कि पहला प्रतिवादी दूसरे स्कूल में सचिव और संवाददाता का पद संभाल रहा था जिसमें यह भी शामिल है। इसलिए, अपीलकर्ता को स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया।

4. उक्त प्रतिवादी द्वारा इसके विरुद्ध स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक के समक्ष अपील दायर की गई थी। हालाँकि, उक्त अपील खारिज कर दी गई।

5. पहले प्रतिवादी द्वारा एक रिट याचिका संख्या 20183/1992 दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.12.1998 के फैसले और आदेश के द्वारा मंजूर की गई थी।

6. उसके खिलाफ की डिवीजन बेंच में एक अपील सं. 2058/1999 दायर की गई थी जिसके द्वारा 14.07.2000 के एक आदेश द्वारा मामले को स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक (उच्च माध्यमिक) को प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें कहा गया था: -

"चौथे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में ऐसा विशिष्ट कथन किया था और इसलिए दोनों वकीलों की सहमति से, मामले को स्कूल शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक (उच्च माध्यमिक), स्कूल शिक्षा निदेशालय कॉलेज रोड, चेन्नई को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है। वह अब तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1974 का तमिलनाडु अधिनियम 29) के नियम 15 के दायरे में अकेले ही अंतर-गुणों के प्रश्न पर विचार करेंगे। यदि पक्षकारों को लगता है कि वे पहले प्रतिवादी द्वारा सुने जाने के हकदार होंगे। पहला

प्रतिवादी पोस्ट की उपलब्धता की तारीख यानी 23.07.1992 के संदर्भ में प्रश्न का फैसला करेगा और यह तय करने के लिए आगे बढ़ेगा कि क्या उस तारीख को वह याचिकाकर्ता था या चौथा प्रतिवादी जिसे परस्पर योग्यता आदि के आधार पर प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।"

7. दिनांक 02.11.2000 के एक आदेश द्वारा, दूसरे प्रतिवादी ने राय दी कि अपीलकर्ता और पहले प्रतिवादी दोनों की वरिष्ठता और योग्यता समान थी और इसलिए अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार चूंकि पहला प्रतिवादी वरिष्ठ था, इसलिए उसे प्रधानाध्यापक के पद के लिए चुना जाना चाहिए।

8. उक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट, अपीलकर्ता ने डब्ल्यूपी संख्या 19445/2000 के रूप में एक रिट याचिका दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को यह निधारित करते हुए अनुमति दी कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अधिनियम के तहत अधिकारियों को स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर किए गए चयन में अत्यंत कम हस्तक्षेप करना स्कूल के दैनिक प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

9. विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि दूसरे प्रतिवादी ने प्रधानाध्यापक के पद के लिए अपीलकर्ता का चयन करते समय स्कूल समिति द्वारा विचार की गई महत्वपूर्ण सामग्री को छोड़ दिया था।

10. न्यायालय ने आगे कहा कि प्रबंध समिति की राय को आमतौर पर प्राधिकारी द्वारा यह कहते हुए रद्द नहीं किया जाना चाहिए :-

> "10. जब मामले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जहां संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया जाता है कि चयन विभिन्न दावेदारों की वरिष्ठता और योग्यता के मूल्यांकन में सामान्य पद्धति को पूरी तरह से छोड़कर किया गया था। स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर किए गए चयन में अत्यंत कम हस्तक्षेप से काम करना चाहिए क्योंकि यह स्कूल के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रधानाध्यापक की भूमिका में स्कूल का प्रशासन शामिल होता है। स्कूल में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों और स्कूल से संबंधित अन्य पहलुओं का पर्यवेक्षण और नियंत्रण शामिल है।"

न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि :-

> "पहले प्रतिवादी के आदेश ने याचिकाकर्ता और चौथे प्रतिवादी की स्थिति को समान करने के प्रयास में केवल कुछ कारकों पर विचार करके प्रासंगिक कारक माना, अर्थात् चौथे प्रतिवादी की

दोहरी भूमिका को अंततः मानने के लिए क्योंकि चौथा प्रतिवादी वरिष्ठ है उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल, चयन समिति की दिनांक 03.08.1992 की कार्यवाही में याचिकाकर्ता की योग्यता के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार किया गया है। दुर्भाग्य से, पहले प्रतिवादी को अनावश्यक और महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरदांज करते हुए छोड़ दिया गया है जिस पर तीसरे प्रतिवादी स्कूल समिति ने प्रधानाध्यापक के पद के लिए याचिकाकर्ता का चयन करते समय विचार किया था। जब इस तरह के विचार, जो स्कूल समिति के लिए महत्वपूर्ण थे, वास्तव में पहले प्रतिवादी द्वारा उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया था, तो निश्चित रूप से पहले प्रतिवादी के लिए चौथे प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के बराबर करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए, उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के आलोक में कि चौथा प्रतिवादी प्रासंगिक समय के दौरान एक अन्य मध्य विद्यालय के सचिव और संवाददाता का पद संभाल रहा था, ऐसे पद के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया। चौथे प्रतिवादी द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने की स्थिति में पहले प्रतिवादी द्वारा एक हानिकारक कारक होगा जिससे विवादित आदेश कानून में अमान्य हो जाएगा..."

11. इस प्रकार, अपीलकर्ता की रिट याचिका को अनुमति दी गई।

12. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उक्त उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए रद्द कर दिया था: -

(i) चूँकि चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया गया था इसलिए अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता था कि वैधानिक प्राधिकारी समिति के निर्णय में बहुत मामुली तरीके से हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं है।

(ii) हालाँकि प्रतिस्पर्धा के पहले दौर में, अपीलीय प्राधिकारी ने स्कूल समिति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन इस अदालत द्वारा पारित रिमांड के आदेश के कारण, उसे प्रतिस्पर्धा के दूसरे दौर में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(iii) इस न्यायालय के निर्देशों के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर ऐसी धारणा के बाद पहले प्रतिवादी के लिए यह विकल्प नहीं है कि वह मामले के गुण-दोष के बारे में दूसरे प्रतिवादी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए।

(iv) पार्टियों ने अपने सापेक्ष गुणों का आकलन करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत किया है,

अपीलकर्ता को यह तर्क देने से रोका गया है कि स्कूल समिति के निर्णय में मामुली तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

(v) दूसरे प्रतिवादी द्वारा मूल्यांकन के लिए खुद को प्रस्तुत करने के बाद, पार्टियों के लिए योग्यता के आधार पर दूसरे प्रतिवादी द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय पर हमला करना भी संभव नहीं है।

(vi) विद्वान न्यायाधीश इस तथ्य से भी प्रभावित हुए कि अपीलकर्ता ने 1992 में प्रासंगिक समय पर केवल एक अन्य माध्यमिक विद्यालय के संवाददाता के रूप में कार्य किया था। इस तथ्य को दूसरे प्रतिवादी ने भी अपने आदेश दिनांक 02.11.2000 में ध्यान में रखा है। इसलिए दूसरे प्रतिवादी ने अपने आदेश दिनांक 2.11.2000 में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वास्तव में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।

(vii) यह पता चलने के बाद कि अपीलकर्ता और पहला प्रतिवादी दोनों वरिष्ठता और योग्यता के मामले में समान रूप से अच्छी स्थिति में हैं, दूसरे प्रतिवादी ने स्वाभाविक रूप से वरिष्ठता के सिद्धांत को लागू किया, क्योंकि नियम 15(4)(i) उसे वरिष्ठता पर विचार करने में सक्षम बनाता है। वरिष्ठता और योग्यता बराबर हैं इसलिए दूसरे प्रतिवादी का आदेश किसी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

(viii) वर्ष 2000 में रिट याचिका दायर होने के समय प्रतिवादी संख्या 1 की आयु 50 वर्ष थी जबकि अपीलकर्ता की आयु 44 वर्ष थी।

और पिछले 14 वर्षों से लंबित मुकदमे को देखते हुए, चौथे प्रतिवादी के स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका और अपीलकर्ता के पास अब दो साल की सेवा शेष है।

13. उक्त फैसले पर अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. परासरन ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक गंभीर त्रुटि की है क्योंकि वह इस बात पर विचार करने में विफल रही कि अपीलीय प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचने में विफल रहे। इसका निर्णय न केवल प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा, बल्कि वास्तव में इसका निर्णय अप्रासंगिक कारकों पर आधारित था।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीएलवी अय्यर ने निवेदन किया कि यद्िप प्रथम दृष्टया अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 2.11.2000 प्रकट करता है कि उन्होंने कुछ कारकों पर विचार किया है जो बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकते है लेकिन इसके बारे में वास्तविक विचार इसके द्वारा निकाले गए निम्नलिखित निष्कर्षों से स्पष्ट है।

"विशेष योग्यता के संबंध में, आर. वेंकटरमन, हालांकि एक तमिल शिक्षक थे, ने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने पूना से स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उन्होंने तमिल विषय में कई

प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जिसमें वे पढ़ाते हैं। उन्होंने गांधी शांति फाउंडेशन, चिदम्बरम की मासिक पत्रिका "थौंडू" के लिए एक संपादक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1981 में आयोजित पांचवें विश्व तमिल सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया। उन्होंने साहित्यिक संघ की बैठकें आयोजित की। उन्होंने निबंध और सस्वर पाठ प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। उन्होंने खुद को धार्मिक सेवा, संगीत सेवा और सर्वोदय सेवा और मानव संबंध सेवा में शामिल किया। उन्होंने होम-गार्ड में सेवा की। उन्होंने नाटकों में अभिनय किया।

इसी प्रकार, विज्ञान शिक्षक थिरु सेथुरमन ने कई जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और दक्षिणी भारत स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन और इसी तरह के संगठनों द्वारा आयोजित कई शोधकर्ताओं में भाग लिया। उन्होंने सेवाकालीन प्रशिक्षण, स्काउट ट्रेनिंग और कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने कई किताबें लिखीं. उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सहायक आयुक्त के रूप में भी काम किया है। पीएचडी स्कॉलर के रूप में पंजीकरण के बाद उन्होंने सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने नाटकों में अभिनय किया।

विशेष योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। तमिल शिक्षक थिरु आर.

वेंकटरमन अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं। उनके पास बोलने और लिखने का कौशल है। इसी प्रकार थिरु सेथुरमन ने विज्ञान से संबंधित परियोजनाओं पर शोध किया है और कई क्रेडिट प्राप्त करके उस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। इन दोनों ने कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी। विज्ञान शिक्षक के रूप में, थिरु सेथुरमन ने "कंप्यूटर के माध्यम से रसायन विज्ञान कैसे पढ़ाएं" विषय पर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किया है। थिरु वेंकटरमन ने इसी तरह साहित्यिक संघ की बैठकें और साहित्यिक सुधार बैठकें आयोजित कीं। यह साहित्यिक सेवा और कंप्यूटर के माध्यम से रसायन विज्ञान पढ़ाना कक्षा-कक्षों की विशेष विशेषताएँ हैं। ठीक उसी तरह जैसे थिरु सेथुरमन के पास विज्ञान के क्षेत्र में कई उपाधियाँ और प्रशंसाएँ हैं, थिरु वेंकटरमन के पास तमिल साहित्य के क्षेत्र में उपाधियाँ और प्रशंसाएँ हैं। थिरु सेथुरमन ने स्काउट्स में सहायक आयुक्त के रूप में पांच वर्षों तक होमगाड्र्स में कार्य किया। थिरु सेथुरमन और थिरु वेंकटरमन ने नाटकों में अभिनय किया और सराहना हासिल की। जैसे थिरु सेथुरमन ने विज्ञान और संबंधित शोधकर्ताओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, थिरु वेंकटरमन ने समाज सेवा, साहित्यिक सेवा, संगीत सेवा और धार्मिक सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

थिरु सेथुरमन को 1992 के बाद डॉक्टरेट की उपाधि मिली।

थिरु वेंकटरमन ने राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सचिव (1992 में) से सहमति प्राप्त करके किसी अन्य स्कूल में सचिव/संवाददाता के रूप में कार्य किया। इससे स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में उनका ध्यान नहीं भटका, यह बात तमिल (100%) के नतीजों से समझ आती है। सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना लागू नहीं है।

अपने विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए थिरु वेंकटरमन ने थिरु सेथुरमन से बेहतर सेवा प्रदान की थी।

थिरु एस. सेथुरमन	थिरु आर. वेंकटरमन
1987-88	1987-88
1988-89 पाँच वर्ष	1988-89 पाँच वर्ष
1989-90 98%	1989-90 100%
1990-91	1990-91
1991-92	1991-92"

15. स्कूल के प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एलएन राव ने प्रकट किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ उस अवधि के दौरान गंभीर कदाचार के कथित आरोप के लिए एक चार्ज मेमो जारी किया गया है जब वह प्रधानाध्यापक के पद पर था।

16. सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों की सेवा की शर्तें अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। नियमों के नियम 15 के अनुसार स्कूल की प्रबंध समिति को मुख्य रूप से 'योग्यता और क्षमता' के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद को भरने का कर्तव्य सौंपा गया है। निर्विवाद रूप से, किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय समिति को केवल उम्मीदवार की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए और केवल तभी जब दो उम्मीदवारों की संबंधित योग्यता और क्षमता बराबर हो, तो वरिष्ठता की कुछ भूमिका होगी। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता से केवल 13 दिन वरिष्ठ है। प्रासंगिक समय पर, अपीलकर्ता ने वर्ष 1989 में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापको के लिए आयोजित निर्धारित लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हमारे सामने कई अन्य कारक रखे गए हैं कि इस तथ्य के अलावा अपीलकर्ता अधिक योग्य था, प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए था।

17. अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय प्राधिकारी के पास निर्विवाद रूप से पूर्ण शक्ति होती है। यह किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए न केवल संबंधित उम्मीदवारों की संबंधित शैक्षिक योग्यता और अन्य गतिविधियों पर विचार कर सकता है कि दोनों उम्मीदवारों में से किसकी योग्यता और क्षमता बेहतर है, बल्कि इसे अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग उम्मीदवारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। प्रबंध

समिति यदि दो विचार संभव हैं, तो सामान्यतः प्रबंध समिति के विचार को प्रबल होने दिया जाना चाहिए।

18. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय इस मामले में कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहा। हमारी सुविचारित राय में इसका हर एक कारण पूरी तरह से अस्थिर है। यह कानून की गलत दिशा से ग्रस्त है।

19. जैसा कि यहां पहले देखा गया है, मामला पार्टियों की सहमति से उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक को भेज दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उक्त प्राधिकारी को नियम 15 के दायरे में मामले पर सख्ती से विचार करने का निर्देश दिया। नियमों का उच्च न्यायालय ने अपील का दायरा नहीं बढ़ाया और न ही बढ़ा सकता है।

20. यदि अपीलीय प्राधिकारी ने अन्यथा सोचा, तो उसका आदेश टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य था। इसे अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों का परीक्षण किया जाना चाहिए था और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को उनकी योग्यता के आधार पर परीक्षण करना चाहिए था, न कि उसी के आधार पर।

21. जब क्षेत्र में लागू मौजूदा नियम को उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था, तो उसे वही लागू करना चाहिए था। इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जो किया जा सकता था वह नियमों के प्रावधानों का पालन करना था न कि उसी तरह कार्य करना। वह एक अर्ध न्यायिक कार्य कर रहे थे। एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में और एक क़ानून के तहत कार्य करते हुए, निर्विवाद रूप से वह प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल नहीं हो सकता था और/या इनकार नहीं कर सकता था और अपने निर्णय को अप्रासंगिक कारकों या बाहरी विचार पर आधारित कर सकता था।

22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति के दायरे और दायरे को ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता था कि इससे पहले दिए गए आदेश में स्पष्ट त्रुटियां थीं। अभिलेखों का चेहरा जबकि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपना आदेश पारित करते समय उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा, हमारी राय में डिवीजन बेंच ऐसा करने में विफल रही, न केवल इसके बावजूद कि आदेश पारित करने के लिए कई आधारों पर उसका ध्यान आकर्षित किया गया था। इससे पहले कि यह विवादित हो जाए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ एस्टोपेल के सिद्धांत को लागू किया और राय दी कि खुद को अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने के बाद, उसे इसकी

वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारी राय में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। इस प्रकृति के मामले में रोक के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं होता है। अपीलकर्ता ने किसी प्राधिकारी को ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया और वास्तव में कर भी नहीं सकता जो उसे क़ानून के तहत प्राप्त नहीं हुआ है। यदि क्षेत्राधिकार सहमति से प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो यह प्राधिकार को अवैध तरीके से इसका प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र, जिसे वह दोहराएगा, पार्टियों की सहमति पर पारित किया गया था, विवाद में नहीं है, बल्कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने अपीलीय द्वारा मामले की पुन: जांच के लिए सहमति व्यक्त की थी। प्राधिकरण, जिसका वह अन्यथा हकदार था, उसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए उसके अयोग्य होने का आधार नहीं पाया जा सकता था, जब इसके द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियां की गई थीं और अन्यथा थीं अभिलेखों से स्पष्ट है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का उपरोक्त दृष्टिकोण लेना सही नहीं था।

23. हम देख सकते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी ने पहले प्रतिवादी की योग्यता और क्षमता का आकलन करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा: -

"1. हालांकि एक तमिल शिक्षक, ने कंप्यूटर प्रशिक्षण लिया था।

2. पूना से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

3. जिस तमिल विषय में वे पढ़ाते हैं, उस विषय में कई प्रमाणपत्र प्राप्त किये।

4. गांधी शांति प्रतिष्ठान, चिदम्बरम की मासिक पत्रिका "थोंडू" के संपादक के रूप में कार्य किया।

5. 1981 में आयोजित पांचवें विश्व तमिल सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया।

6. साहित्यिक संघ की बैठकें आयोजित कीं।

7. निबंध और काव्यपाठ प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते।

8. धार्मिक सेवा, संगीत सेवा, सर्वोदय सेवा और मानव संबंध सेवा में स्वयं को शामिल किया।

9. होम-गार्ड में सेवा की।

10. नाटकों में अभिनय किया.

11. अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता है।

12. बोलने और लिखने का कौशल है।

13. कम्प्यूटर प्रशिक्षण लिया।

14. साहित्यिक संघ की बैठकें और साहित्यिक सुधार बैठकें आयोजित कीं।

15. तमिल साहित्य के क्षेत्र में उपाधियाँ और सराहना प्राप्त।

16. नाटकों में अभिनय किया और सराहना हासिल की.

17. समाज सेवा, साहित्यिक सेवा, संगीत सेवा और धार्मिक सेवा में उत्कृष्ट।

18. 1992 में सचिव से सहमति प्राप्त करने के बाद किसी अन्य स्कूल में सचिव/संवाददाता के रूप में कार्य किया, जिससे स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में उनका ध्यान नहीं भटका, जैसा कि तमिल में परिणाम (100%) से पता चलता है।

19. लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों पर लागू नहीं है।

20. 5 वर्षों (अर्थात 1987-88 1991-92) में उनके तमिल विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत 100% है।

24. इसके साथ जुड़े अधिकांश विचार अप्रासंगिक थे।

25. नरिंदर मोहन आर्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य [(2006) 4 एससीसी 713] में, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि: -

"44 विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश कई कमियों से ग्रस्त है। उन्होंने विचार किया था कि "नियोक्ता के लिए नुकसानदेह है क्योंकि ऐसे कार्य गोपनीयता से और दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति के साथ साजिश के तहत किए जाते हैं।" अनुशासनात्मक कार्यवाही में भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और न ही अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है। उसके पास इस पर अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं था। निस्संदेह, रिट अदालत कुछ साक्ष्य या कोई साक्ष्य न होने के बीच के अंतर को ध्यान में रखेगी, लेकिन जो प्रश्न उठाया जाना आवश्यक था और आवश्यक था वह यह होना चाहिए था कि क्या कुछ साक्ष्य पेश किए जाएंगे। अपराधी अधिकारी के दोषी होने या न होने के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। प्रबंधन की ओर से पेश किए गए सबूतों का आरोपों के साथ संबंध होना चाहिए। जांच अधिकारी अपने निष्कर्षों को केवल परिकल्पना पर आधारित नहीं कर सकता है। उसकी ओर से केवल साक्ष्य का स्थानापन्न नहीं हो सकता है।

45. विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि "यह किसी जांच अधिकारी द्वारा उचित रूप से तैयार किए गए न्यायालय के विवेक (एसआईसी) के साथ स्थापित किया गया है" पूरी तरह से उचित नहीं हो सकता है क्योंकि न्यायालय अपनी शक्ति का

प्रयोग करते समय पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। न्यायिक समीक्षा को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या निष्कर्षों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई थी। अदालत की अंतरात्मा की इसमें ज्यादा भूमिका नहीं हो सकती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर बिल्कुल भी विचार-विमर्श नहीं किया। कानूनी सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर चर्चा अनिवार्य थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी यही त्रुटि की।"

26. इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड बनाम प्रभा डी. कानन [2006 (12) स्केल 58] में, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

"46. ऐसे आदेश की न्यायिक समीक्षा कायम रहेगी। न्यायिक समीक्षा के मामले में, जहां कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार को केवल सीमित नहीं रखेगा। इसके लिए निर्धारित ज्ञात परीक्षणों, जैसे अवैधता, अतार्किकता, प्रक्रियात्मक अनौचित्य के लिए। इसे मामले में गहराई से उतरना होगा। इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता होगी।

47. हम यह नोटिस करते हैं कि स्थितिजन्य परिवर्तनों और विशेष रूप से, राज्य द्वारा संप्रभु गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार कर रहा है। इसमें कानून को गलत दिशा देना, गलत प्रश्न या अप्रासंगिक प्रश्न प्रस्तुत करना और प्रासंगिक प्रश्न पर विचार करने में विफलता शामिल है। कुछ आधारों पर तथ्यों पर न्यायिक समीक्षा भी चलने योग्य है। अनुचितता के सिद्धांत ने अब आनुपातिकता के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया है।

48. एसएन चन्द्रशेखर बनाम कर्नाटक राज्य [(2006) 3 एससीसी 208] में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :-

"33. यह अब सर्वविदित है कि कानून की त्रुटि की अवधारणा में उन कारणों को देना शामिल है जो कानून में त्रुटिपूर्ण हैं या (जहां कारण देने का कर्तव्य है) असंगत, समझ से बाहर या काफी हद तक अपर्याप्त हैं। (देखें डी स्मिथ की न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्रवाई, 5 वां संस्करण, पृष्ठ 286.)

34. इसलिए, प्राधिकरण ने अपने सामने एक गलत प्रश्न रखा। इसलिए, बीडीए द्वारा इस बात पर विचार करना आवश्यक था कि क्या अधिनियम की धारा 14-ए में निहित सामग्री पूरी की गई थी और क्या उसके साथ संलग्न प्रावधान की आवश्यकताएं संतुष्ट

हैं। यदि उसे संतुष्ट नहीं किया गया था, तो कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया माना जाना चाहिए। यदि कानून की आवश्यकताओं के संबंध में मस्तिष्क का समुचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह माना जाना चाहिए कि राज्य और योजना प्राधिकरण ने कानून में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है जो कि प्रश्नगत फैसले को रद्द कर देगा।

35. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में लिमिटेड बनाम डेरियस शापुर चेनाई में इस न्यायालय ने चोलन रोडवेज लिमिटेड बनाम जी. थिरुग्नानासंबंदम[6] का हवाला देते अभिनिर्धारित किया है कि: (एससीसी पृष्ठ 637, पैरा 14)

"14. यहां तक कि कुछ स्थितियों में तथ्यों पर न्यायिक समीक्षा भी उपलब्ध हो सकती है। वी. जी. थिरुग्नानासंबंदम में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि: (एससीसी पृष्ठ 253, पैरा 34-35)

"34.....अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को अपने सामने एक सही प्रश्न रखना चाहिए ताकि वह तथ्य की सही खोज के किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके।। एक गलत प्रश्न पूछे जाने पर गलत उत्तर मिलता है। इस मामले में, इसके अलावा, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए

कानून में गलत दिशा स्पष्ट थी क्योंकि इसने रेस इप्सा लोकिटुर के सिद्धांत को लागू नहीं किया था जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक था। इस मामले में और इस प्रकार, एक प्रासंगिक कारक पर विचार करने में विफल रहा और इसके अलावा इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एक अप्रासंगिक तथ्य पर विचार किया गया, अर्थात्, बस के यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी आवश्यक थी। औद्योगिक न्यायाधिकरण आगे भी घरेलू जांच के संबंध में सबूत के सही मानक को लागू करने में विफल रहा। जो कि "संभावना की प्रधानता" है और आपराधिक मुकदमे के लिए आवश्यक सबूत के मानक को लागू किया जाए। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा का मामला स्पष्ट रूप से बनता है।

35. तथ्य की त्रुटियाँ भी न्यायिक समीक्षा का विषय हो सकती हैं। (देखें- ई. बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गृह विभाग) इस संबंध में 2004 पब्लिक लॉ में प्रकाशित पॉल पी. क्रेग, क्यूसी के "न्यायिक समीक्षा, अपील और कारक त्रुटि" शीर्षक वाले एक दिलचस्प लेख का भी संदर्भ दिया जा सकता है । पी 788"

49. एक बार पुनः यूपी राज्य बनाम शिव शंकर लाल श्रीवास्तव [(2006) 3 एससीसी 276] में, इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"24. ऐसा कहते समय, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि अनुचितता का सिद्धांत आनुपातिकता के सिद्धांत को रास्ता दे रहा है।

25. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस संबंध में संवैधानिक कानून के विकास को देखते हुए वेडनसबरी सिद्धांतों को अब लागू नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए देखें, हुआंग बनाम सचिव राज्य के लिए गृह विभाग जिसमें आर. बनाम सचिव का जिक्र है। गृह विभाग के राज्य, पूर्व पी. डेली का मानना था कि कुछ मामलों में, निर्णायक को न्यायिक अभ्यास करने की आवश्यकता हो सकती है जो न केवल वेडनसबरी की तुलना में अधिक दखल देने वाला है, बल्कि इसमें पूर्ण विकसित योग्यता निर्णय शामिल है, जो कि पूर्व पी से भी अधिक है। जहां अदालत को आनुपातिकता के मुद्दे पर निर्णय लेना होगा ।" डैली को न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।

27. उम्मीदवारों की संबंधित वरिष्ठता और क्षमता का आकलन करने के उद्देश्य से, उनकी पाठ्येतर गतिविधियों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर अपीलीय प्राधिकारी ने बड़ी संख्या में अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है, हम उनमें से कुछ पर ध्यान दे सकते हैं, जो प्रकृति में केवल उदाहरणात्मक हैं।

(i) 1981 में आयोजित पांचवें विश्व तमिल सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया।

(ii) साहित्यिक संघ की बैठकें आयोजित की गईं।

(iii) स्वयं को धार्मिक, संगीत सेवा और मानवीय संबंध सेवा में शामिल किया।

(iv) होम-गार्ड में सेवा की।

(v) नाटकों में अभिनय किया

(vi) कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया।

28. यह उस प्रासंगिक तथ्य पर भी विचार करने में विफल रहा, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्कूल की प्रबंध समिति के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के आदेश पर भी विचार करता था कि उन्होंने कुछ अन्य स्कूलों में सचिव और संवाददाता के रूप में कार्य किया था और इस प्रकार, वे अपने शिक्षण कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे थे।

29. अपीलीय प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भले ही यह प्रासंगिक नहीं था, हालांकि इस संबंध में एक सरकारी आदेश मौजूद था,अगर अन्य गतिविधियों को योग्यता के कार्य माना जा सकता है, तो हम यह समझने में असफल हैं कि पद धारण करने के उद्देश्य से उच्च योग्यता क्यों हासिल की जाए। प्रधानाध्यापक जो किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख के रूप में

उनके कामकाज में सहायक होगा, प्रासंगिक नहीं होगा। इसी तरह, यह सवाल कि क्या अपीलकर्ता या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पांच वर्षों तक पढ़ाए गए विषयों में छात्रों का 'उत्तीर्ण प्रतिशत' 98% था या 100%, का अधिक महत्व नहीं हो सकता है।

30. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार रद्द किया जाता है। मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

31. यद्यपि उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, अपीलीय प्राधिकारी को प्रासंगिक समय पर जब पद रिक्त हुआ था अपीलकर्ता/प्रथम प्रतिवादी की संबंधित योग्यता और क्षमता पर विचार करने की आवश्यकता थी, हमारी राय है कि वहीं उसे इस प्रश्न पर विचार करने से नहीं रोका जाएगा कि क्या उसने स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी कदाचार के कारण खुद को अयोग्य घोषित कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले को अपास्त् किया जाता है।

32. यह अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

अपील की अनुमति दी गयी।

के.के.टी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक पाराशर (आरजे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।